

Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board
Khalini, Shimla-171002

No.HMB -4-5/76-IV

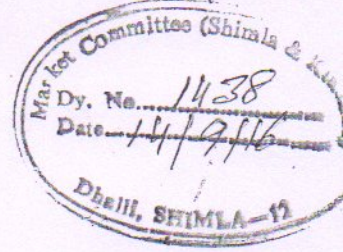
7153

Dated, Shimla,

06/09/2016

From:

Managing Director
H.P. State Agricultural Marketing Board
Khalini, Shimla-2.



To

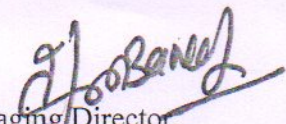
The Secretary,
Agricultural Produce Market Committee,
Shimla & Kinnaur, Dhali, Shimla-12

Subject:

प्रस्तावित फल एवं सब्जी मण्डी, मेहन्दली (रोहड़ू) के निर्माण बारे।

Memo:

The subject cited matter was discussed in the BOM meeting held on 27.7.2016 vide resolution No. 6 (3). The decision taken in the meeting is enclosed herewith for information and further necessary action. The progress may be intimated to this office, so that BOM could be apprised accordingly.

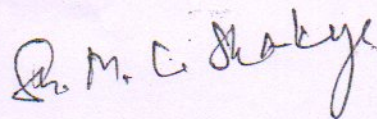

Managing Director,
H.P. State Agricultural Marketing Board
Khalini, Shimla-171002

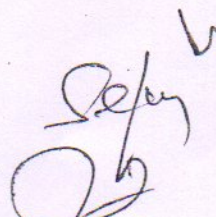
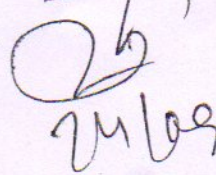
Endst. No.HMB -4-5/76-IV

Dated, Shimla,

Copy forwarded to the BOMs meeting file.

Managing Director,
H.P. State Agricultural Marketing Board
Khalini, Shimla-171002




14/9/2016


माननीय अध्यक्ष विपणन बोर्ड ने बोर्ड को अवगत करवाया कि उन्होंने दिनांक 14.07.2016 को उपरोक्त स्थान का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान SDM Rohru, Executive Engineer IPH, Executive Engineer PWD और मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर के कर्मचारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरा हुई चर्चा में सामने आया कि Entry/Exit point पर भूमि का स्थल ऊंचा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित मण्डी की तरफ आने अथवा जाने के लिए सड़क के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को acquire किया जाना भी आवश्यक है। अध्यक्ष बोर्ड ने अवगत करवाया कि उन्होंने SDM Rohru को इस बारे पूरी रिपोर्ट भेजने को कहा था, जो की प्राप्त हो चुकी है और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। इस पर बोर्ड ने संतोष व्यक्त किया और आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

चर्चा में भाग लेते हुए बोर्ड सदस्य डा० आजाद ने अपने विचार रखे और कहा की उक्त स्थान पर उपलब्ध भूमि की सही प्लानिंग/डिजाईनिंग करवाई जाए और इसे एक मॉडल मार्केट के रूप में विकसित किया जाए, जिससे यह सही ढंग से चले और क्षेत्र के किसानों/ बागवानों को इसका भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में निर्मित की जाने मंडियों/उप मंडियों के लिए एक जैसा मॉडल तैयार किया जाए। अध्यक्ष मण्डी समिति ने भी अपने विचार रखे और उक्त स्थान पर दो मंजिले विकसित करने की आवश्यकता बताई। इसमें पहली मंजिल आर.सी.सी. तथा दूसरी मंजिल Pre-fab structure के रूप में विकसित किया जाए। बोर्ड ने सदस्यगणों के विचारों पर सहमति प्रकट की और विश्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

(4) प्रस्तावित फल एवं सब्जी मण्डी, शोघी (शिमला) के निर्माण बारे।

माननीय बोर्ड को अवगत करवाया गया कि उक्त स्थान पर फल एवं सब्जी मंडी के निर्माण हेतु माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2014 में घोषणा की गई थी, परन्तु उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी। भूमि प्राप्त करने के लिए कई स्थानों का निरीक्षण भी किया गया। दिनांक 13.07.2016 को उप मण्डलाधिकारी, ग्रामीण शिमला, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमि चयन के लिए संयुक्त निरीक्षण किया गया। मण्डी समिति ने अनुरोध किया है कि तकनीकी विशेषज्ञ से विस्तृत

[Handwritten Signature]

जरूरत के अनुसार मण्डी के विस्तार का निर्णय लिया, जिसमें प्राथमिकता के तौर पर नीलामी मंच, किसान भवन तथा पार्किंग लॉट का निर्माण कार्य करवाया जाना चाहिए तथा मामले को राज्य स्तर कमेटी के पास स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय Arbitral Tribunal द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 19.05.2016 को राज्य सरकार की अनुमति उपरान्त अधिकरण के आदेशों का तदनुसार पालन करने हेतु अनुमति प्रदान की।

(2) फल एवं सब्जी मण्डी, भटठाकुफर, शिमला के प्रांगण में मैटलिंग व टायरिंग के कार्य की स्वीकृति।

बोर्ड ने, उक्त कार्य हेतु मु0.12.53 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। यह व्यय मण्डी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।

अध्यक्ष मण्डी समिति ने अवगत करवाया कि उक्त मण्डी में गेट का निर्माण सही स्थान पर नहीं हुआ है, जिससे गाड़ियों को अंदर आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और गेट शीघ्र ही टूट सकता है। बोर्ड ने इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने और मण्डी समिति को सूचित करने के निर्देश दिए।

(3) प्रस्तावित फल एवं सब्जी मण्डी, मेहन्दली (रोहड़ु) के निर्माण बारे।

माननीय बोर्ड ने, सर्वसम्मति से, नदी की तरफ दिवार लगाने के लिए Executive Engineer, IPH, Rohru से मु0. 130.21 लाख रुपये के प्राक्कलन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की और इस कार्य को IPH विभाग से "DEPOSIT WORK" के रूप में करवाने के लिए धनराशि जमा करवाने का निर्णय लिया। शीघ्र कार्यवाही करने हेतु बोर्ड ने बैठक में मौजूद अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिए।

बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि प्रस्तावित फल एवं सब्जी मण्डी, मेहन्दली (रोहड़ु) के निर्माण बारे निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, तथा कनिष्ठ अभियन्ता हिमाचल विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 16.07. 2016 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राजस्व विभाग तथा सम्बन्धित मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर द्वारा प्रस्तावित भूमि पर Demarcation करवाने के बाद Boundary Pillars लगा दिये गये हैं।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]